भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1014
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीवन रक्षक दवाओं की कीमत

1014. श्री मुरसोली एस.:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें कम करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विचाराधीन दवाओं की सूची क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): औषधियों का जीवन रक्षक औषधियों के रूप में वर्गीकरण नहीं है। तथापि, सभी हितधारकों और विशेषज्ञों को मिलाकर बनी औषधियों संबंधी स्थायी राष्ट्रीय समिति प्रत्येक चिकित्सीय वर्ग की दवाइयों की सापेक्ष सुरक्षा, गुणवत्ता, उपलब्धता और वहनीयता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करती है, सभी हितधारकों से परामर्श करती है और राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) में शामिल करने हेतु औषधियों की सिफारिश करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवा सूची, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, भारतीय फार्माकोपिया, राष्ट्रीय फार्मूलरी आदि में प्रयुक्त औषधियों पर विचार करती है। उक्त सिफारिशों के आधार पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएलईएम प्रकाशित करता है, जिसे औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 ("डीपीसीओ, 2013") की अनुसूची-I के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

इस समय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा 930 अनुसूचित फॉर्मुलेशनों के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित दवाओं के सभी विनिर्माताओं, आयातकों और विपणकों को अपने उत्पादों की बिक्री अधिकतम मूल्य (प्लस यथा लागू स्थानीय कर) के भीतर करनी आवश्यक है। एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत मूल्यों के निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण के कारण औसत मूल्य में कमी लगभग 17% थी, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 3,788 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होने का अनुमान है। इससे पहले, फरवरी 2017 में, कोरोनरी स्टेंटों के अधिकतम मूल्य भी निर्धारित किए गए थे, जिसके फलस्वरूप रोगियों को लगभग 11,600 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त, "नई औषधियों" अर्थात एनएलईएम में सूचीबद्ध किसी दवा के मौजूदा विनिर्माताओं द्वारा इसे किसी अन्य औषधि के साथ संयोजित करके अथवा ऐसी दवा की क्षमता या खुराक अथवा दोनों को बदलकर शुरू किए गए फॉर्मूलेशन, के खुदरा मूल्यों का निर्धारण भी एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार की 3,482 नई औषधियों के खुदरा मूल्य भी निर्धारित हैं और आवेदक विनिर्माताओं और विपणन कंपनियों को इन दवाओं की बिक्री उक्त मूल्यों के भीतर करनी आवश्यक है।

उपर्युक्त के अलावा, गैर-अनुसूचित दवाओं के संबंध में, मूल्यों में कमी लाने के लिए डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) विनिर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे उनके द्वारा शुरू की गई औषधियों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में पिछले 12 महीनों के दौरान एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि न करें।

(ii) इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने जनहित में अनेक गैर-अनुसूचित दवाओं के मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किए हैं:

(I) 22 मधुमेह और 84 हृदयवाहिका संबंधी गैर-अनुसूचित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 350 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने का अनुमान है।

(II) 42 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन पर सीमा लगा दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप दवाओं के लगभग 526 ब्रांडों के मूल्यों में औसतन लगभग 50% की कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 984 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने का अनुमान है।

(III) आर्थोपेडिक घुटना प्रत्योरोपण के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 1,500 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने का अनुमान है।

(IV) जून/जुलाई 2021 में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर के व्यापार मार्जिन को भी सीमित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को लगभग 1,000 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होने का अनुमान है।

एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्यों का विवरण इसकी वेबसाइट (nppaindia.nic.in) पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, दवाओं को किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत जन औषधि केन्द्रों (जेएके) के नाम से समर्पित केन्द्र खोले गए हैं, जहां गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां बाजार में

उपलब्ध प्रमुख ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 80% सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। दिनांक 30.06.2025 तक देश भर में 16,912 जेएके खोले जा चुके हैं। इस योजना के उत्पाद समूह के अंतर्गत 2,110 प्रकार की दवाइयां और 315 सर्जिकल सामग्रियां, चिकित्सा उपभोज्य वस्तुएं और उपकरण शामिल हैं, जिनमें सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह जैसे हृदयवाहिका, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाइयां तथा न्यूट्रास्युटिकल्स दवाइयां शामिल हैं। अभी तक 7,700 करोड़ रुपए के मूल्य की जनऔषधि दवाइयों की बिक्री की जा चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित ब्रांडेड दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में नागरिकों को लगभग 38,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, द्वितीयक या तृतीयक परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य आश्वासन/बीमा कवर प्रदान किया जाता है। 41 करोड़ से अधिक लोगों को पीएमजेएवाई कार्ड जारी किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत दवाओं का कवरेज भी शामिल है।

(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की निःशुल्क औषधि सेवा पहल के अंतर्गत जन स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

(iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की उपचार के लिए वहनीय दवाइयां और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) पहल के अंतर्गत कैंसर, हृदयवाहिका रोगों और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए वहनीय दवाइयां, प्रत्यारोपण, सर्जिकल डिस्पोजेबल और अन्य उपभोग्य वस्तुएं आदि अनेक अस्पतालों और स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों में स्थापित अमृत फार्मेसी स्टोरों के माध्यम से बाजार दरों पर 50% तक की विशिष्ट छूट पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

(v) राष्ट्रीय आरोग्य निधि और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान की एकछत्र योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के निर्धन रोगियों, जो कैंसर सहित प्रमुख जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****